

प्रतिलिपि आदेश दिनांक 14-3-16 पारित द्वारा सदस्य राजस्व मंडल, म0प्र0,  
ग्वालियर प्रकरण क्रमांक निगरानी 796-एक/16 विरुद्ध आदेश दिनांक  
7-12-15 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, जबलपुर प्रकरण क्रमांक  
119/बी-121/2013-14.

-----

शंकरलाल तिवारी आत्मज बारेलाल तिवारी  
निवासी बड़ी उखरी,  
जबलपुर म0प्र0

----- आवेदक

### विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन  
द्वारा तहसीलदार, जबलपुर

----- अनावेदक

-----

**XXXIX(a)BR(H)-11**

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, बालियट

प्रकरण क्रमांक - निगरानी 796-एक/16

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14-3-16	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर कलेक्टर, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 119/बी-121/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 7-12-2015 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के तहत पेश की गई है।</p> <p>2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि याम लक्ष्मीपुर न.बं. 643 प.ह.नं. 25/31 स्थित भूमि खसरा नं. 131/2 व 135/2 रक्बा क्रमशः 0.154 एवं 0.028 कुल रक्बा 1.082 हैक्टर शंकरजी महाराज के नाम कल्लू आत्मज खितई काछी ने क्य कर लगाई थी और वह उसका स्वयं सर्वदाहकार रहा। वर्ष 1974-75 तक कल्लू काछी का नाम सर्वदाहकार की हैसियत में दर्ज रहा। वर्ष 1975-76 में कल्लू काछी के स्थान पर शंकरलाल पिता बारेलाल को सर्वदाहकार बना गया। अतः उनके नाम की प्रविष्टि राजस्व कागजात में दर्ज रही जो वर्तमान तक विद्यमान है। वर्ष 1983-84 में पठवारी द्वारा बगैर किसी आदेश के "प्रबंधक" कलेक्टर " की प्रविष्टि उक्त भूमि पर कर दी गई। अतः उक्त प्रविष्टि को विलुप्त किए जाने हेतु आवेदन आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष पेश की जो उन्होंने निरस्त किया है।</p> <p>3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं उद्दित व्यायदृष्टांतों का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि कल्लू पुत्र खितई काछी द्वारा शंकरजी के नाम से क्य की गई थी तथा वह स्वयं सर्वदाहकार बना रहा उसके नाम की प्रविष्टि खसरा वर्ष 1974-75 तक पाई जाती है। इकायारनामा दिनांक 28-10-76 से आवेदक शंकरलाल तिवारी को कल्लू काछी द्वारा उक्त</p>	<p>(M)</p>

Rja

प्रकरण क्रमांक - निगरानी 796-एक/16

प्रस्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>मंदिर का सर्वाधार किया गया है और वर्ष 1975-76 से शंकरलाल तिवारी की प्रविष्टि सर्वाधार के रूप में अंकित है। जहां तक उक्त भूमि पर "प्रबंधक कलेक्टर" की प्रविष्टि की प्रश्न है वहां आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीर 1985 आर.एन. 317 (खंडपीठ उच्च व्यायालय) पेश की गई है। माननीय उच्च व्यायालय की उक्त नजीर के प्रकाश में प्रायवेट मंदिर की भूमि पर कलेक्टर प्रबंधक की प्रविष्टि नहीं की जा सकती है। इसी संदर्भ में आवेदक अभिभाषक द्वारा एक अन्य नजीर 1995 आर.एन. 366 उच्च व्यायालय (म0प्र0 राज्य विरुद्ध जगन्नाथ) भी पेश की गई है जिसमें निर्धारित किया गया है कि प्रायवेट मंदिर की भूमि - सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना द्वारा कलेक्टर की प्रबंधक के रूप में नियुक्त अधिसूचना ऐसी भूमि को लागू नहीं होती। उक्त व्यायदृष्टांतों के प्रकाश में अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश स्थिर रखने योग्य नहीं है।</p> <p>परिणामतः यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7-12-15 निरस्त किया जाता है एवं प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं. 131/2 रकबा 0.154 हैक्टर एवं खसरा नं. 135/2 रकबा 0.28 हैक्टर पर "प्रबंधक कलेक्टर" की प्रविष्टि विलुप्त की जाती है। तहसीलदार, जबलपुर को निर्देश दिए जाते हैं कि वे तदनुसार राजस्व अभिलेख दुरस्त करें।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> <p>B/13</p>	